



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : मुख्य परीक्षा-2024 / 8515  
दिनांक : 31.01.2024

विज्ञापित

विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा सत्र 2023-24 की परीक्षाएँ शीघ्र प्रारम्भ करायी जानी प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत स्नातक स्तरीय बी0ए0, बी0काम0 (व्यक्तिगत) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित एम0ए0, एम0काम0 (व्यक्तिगत) पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु पंजीकरण/परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.ccsuniversity.ac.in](http://www.ccsuniversity.ac.in) पर विश्वविद्यालय के पत्रांक परीक्षा/8478, दिनांक 16.01.2024 द्वारा ऑनलाईन भरवाये जाने की अन्तिम तिथि 31.01.2024 थी।

आदेशानुसार परीक्षा फार्म भरने से वंचित ऐसे छात्र/छात्राओं को जिन्होंने अभी तक उपर्युक्त सन्दर्भित परीक्षा फार्म नहीं भरा है, अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए तिथियाँ दिनांक 10.02.2024 तक निम्नानुसार पुनः विस्तारित की जाती हैं :-

ऑन-लाईन पंजीकरण/परीक्षा फार्म भरने की विस्तारित तिथियाँ निम्नानुसार हैं :-

- |   |               |
|---|---------------|
| 01. छात्र/छात्राओं हेतु वेबसाईट पर ऑन-लाईन परीक्षा फार्म भरने की शुरुआत   | 26.11.2023 से |
| 02. छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाईट पर ऑन-लाईन भरने एवं ऑन-लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि   | 10.02.2024 तक |
| 03. विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित महाविद्यालय/संस्थान में छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त आवश्यक पत्राजातों सहित भरे गये सन्दर्भित परीक्षा फार्म का ऑन लाईन सत्यापन कराये जाने की अन्तिम तिथि | 12.02.2024 तक |
| 04. आवंटित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा एन0आर0 सहित परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि  | 13.02.2024 तक |


महत्वपूर्ण निर्देश :-

- समस्त अर्ह छात्र/छात्राएँ व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा/श्रेणी सुधार/एकल विषय परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाईट [www.ccsuniversity.ac.in](http://www.ccsuniversity.ac.in) पर उपलब्ध समस्त सम्बन्धित नियमों/प्रवेश नियमावली/विषय कोड पुस्तिका का भली-भाँति अध्ययन करने के पश्चात् ही परीक्षा फार्म भरा जाना सुनिश्चित करें।
- समस्त छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) के दिशा-निर्देशानुसार केवल अपनी सही NAD ID ही सन्दर्भित परीक्षा फार्म में भरना सुनिश्चित करें।
- समस्त छात्र/छात्राओं को अपना मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर) परीक्षा फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा सन्दर्भित परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से अनुरोध है कि परीक्षा फार्म के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र के साथ मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर) अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुये अलग से सूची परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें एवं प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) संलग्न करने वाले छात्र/छात्राओं से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति प्रपत्र भी देना सुनिश्चित करें।
- कोई भी अभ्यर्थी नेट/स्लैट/एम0फिल0/पी-एच0डी0 उपाधि धारण करने के उपरान्त केवल दो वर्ष के भीतर स्नातक स्तर पर किसी भी एक वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु केवल एक अवसर के लिये अर्ह होगा। स्नातकोत्तर (व्यक्तिगत) स्तर पर श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण करने के उपरान्त केवल दो वर्ष के अन्दर ही अर्ह होगा।
- व्यक्तिगत स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों/श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) हेतु विश्वविद्यालय वेबसाईट पर आवश्यक नियम उपलब्ध हैं।
- विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो वर्षों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अर्ह नहीं होगा।
- किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा में परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं है अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली-भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. वैयक्तिक सहायक-निदेशक (अकादमिक) को, निदेशक अकादमिक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. वैयक्तिक सहायक-परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
06. वैयक्तिक सहायक-वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. सहायक कुलसचिव/प्रभारी-अति गोपनीय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. सहायक कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल) को सूचनार्थ प्रेषित।
10. समस्त अनुभाग प्रभारी (पूछताछ केन्द्र/सूचना पट)।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के पंजीकरण/परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

  
 उप कुलसचिव (परीक्षा)